by providing consumers with information to make wise decisions, while selecting a product. This is a voluntary scheme executed by the Bureau of Indian Standards. Under the scheme final criteria for toilet J Japs, detergents, laundry, soaps and food items (tea, coffee and edible oils) have been notified.

The reluctance of Indian Companies to adopt this scheme stems from the fact that companies do not seem to gain financially because of a high consumer demand already existing for products without the Eco-mark. The Ministry has taken various steps including vigorous publicity campaigns to inculcate awareness among the consumers.

Extradition treaty between India and the USA

7094. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 3568 given in the Rajya Sabha on the 26th April,1995 and state:

(a) what are the outstanding issues between India and the USA on the subject of an extradition treaty;

(b) which of these have been resolved;

(c) which one remains to be sorted out; and

(d) whether the objection of 43 members of the US House of Representatives has been disposed of?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) to (c) There are no significant outstanding issues remaining to be resolved.'

(d) The US Government has not proposed any further modifications in the text.

Address of the UP Chief Minister at Indian High Commission in U.K.

7095. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mr. Mulayam Singh Yadav, Chief Minister of Uttar Pradesh, addressed a meeting of Muslims on Friday, the 28th April, 1995, in our High Commission premises in U.K.;

(b) whether it is a fact that this speech, as reported in the press was irrelevant, communal, provocative and offensive;

(c) whether our High Commissioner in U.K. was also present in this meeting; and

(d) if so, whether Government would advise our diplomatic representative abroad not to allow such misuse of official premises in future and also advise political leaders on foreign tours to conduct themselves in a dignified manner?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) It is customary for our High Commission in London to allow visiting dignitaries from India, including Chief Ministers of States, an opportunity to interact with leaders of the Indian community, depending upon specific requests received on behalf of the dignitary concerned. A meeting was accordingly arranged for the Chief Minister of UP at India House on 28 April, 1995 with members of the Indian community, including many leaders of the Muslim community.

(b) The UP Chief Minister's speech was entirely extempore and our Mission was not provided with any text either before or after the event. A number of Indian correspondents were also present on the occasion.

(c) As a matter of courtesy, It is costomary for our High Commissioner to be present on such occasions and to welcome the dignitary.

(d) On the occasion of visits to our diplomatic premises abroad by Ministers and elected representatives of the people belonging to all political parties in India, all necessary courtesies are extended to them.

प्रधानमंत्री की विदेश-यात्राएं

7096. श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994 के दौरान प्रधान मंत्री ने अपने शिष्टमंडल के साथ-साथ किन-किन देशों का दौरा किया था;

(ख) उन देशों के शासनाध्यक्षों के साथ हुई उनकी बातचीत में किन-किन द्विपक्षीय/बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके मुख्य परिणाम क्या रहे;

(ग) क्या भारत और इन देशों के बीच बहुद्देशीय आयात/निर्यात के संबंध में कोई समझौते हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन करारों/समझौतों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उनके कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) वर्ष 1995 के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा किन-किन देशों का दौरा किया जायेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) प्रधानमंत्री ने 1994 में (2-5 फरवरी) जर्मनी, (13-15 मार्च) यूनाइटिड किंगडम, (14-20 मई) संयुक्त राज्य अमरीका, (28 जून - 2 जुलाई) रूस, (5-7 सितम्बर) वियतनाम और (7-9 सितम्बर) सिंगापुर की यात्रा की।

(ख) से (घ) (i) जर्मनी में प्रधान मंत्री ने जर्मनी के नेताओं के साथ बातचीत की, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों तथा आपसी हित के क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक मामलों में द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करना शामिल था। इस बातचीत के परिणामस्वरूप दोनों देशों की एक-दूसरे के दृष्टिकोणों तथा हित चिन्ताओं के प्रति समझबूझ बढ़ी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की दोनों देशों की वचनबद्धता की भी पुष्टि की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

(ii) यूनाइटिड किंगडम में प्रधान मंत्री की यू० के० के नेताओं के साथ बातचीत द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध, बोस्निया में स्थिति, भारत-पाक सम्बन्ध तथा जम्मू एवं कश्मीर में स्थिति के विषय शामिल थे। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश के बढ़ने पर सन्तोष व्यक्त किया। पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के मामले में, प्रधान मंत्री ने कहा कि यद्यपि पाकिस्तान के कटू वक्तव्यों तथा मानवाधिकारों के नाम पर कश्मीर के मामले का अन्तर्राष्ट्रीय करण करने के कारण इस प्रकार की वार्ता के लिए माहौल दूषित हुआ है, फिर भी भारत रचनात्मक वार्ता के लिए इच्छुक है। प्रधान मंत्री ने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देने के कारण जम्मू तथा कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया पुन: शुरू करने में बाधा खड़ी हो रही है। यू० के० सरकार ने कश्मीर के मामले का शिमला समझौते के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत करके समाधान खोजने के लिए अपना समर्थन देने की पुन: पुष्टि की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

(iii) संयुक्त राज्य अमरीका में, प्रधान मंत्री ने न्यूयार्क, ह्यूस्टन, बोस्टन और वाशिंगटन की यात्रा की। संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रपति क्लिंटन से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना और शीत युद्ध के कारण विकृत हुए द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुलझाकर भारत अमरीका सम्बन्धों में स्थायी सुधार का आधार तैयार करना तथा भारत के आर्थिक सुधार द्वारा विस्तरित व्यापार तथा निवेश के लिए नए अवसरों का लाभ उठाना था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्लिंटन ने समान हित के व्यापक सार्वभौमिक मामलों पर विचार-विमर्श किया जिसमें द्विपक्षीय सम्बन्धों के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध मामले भी शामिल थे। नाभिकीय तथा मिसाइल प्रसार से सम्बधित मसलों पर भी विचार-विमर्श हुआ जिसपर दोनों देशों की स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं। दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि भारत और अमरीका सार्वभौम तथा भेदभाव रहित व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की प्राप्ति के उद्देश्य से तथा नाभिकीय हथियारों के लिए विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर सत्यापनीय प्रतिबंध के लिए सहयोग को सघन करेंगे। जनसंहार के हथियारों को समाप्त करने के उद्देश्य से उनमें धीरे-धीरे कमी करने तथा अप्रसार को समर्थन देने को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में रखा गया। प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रपति क्लिंटन को भारत में विशेषकर जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद को सीमापार से समर्थन देने के संबंध में भारत की चिन्ता से अवगत कराया। राष्ट्रपति क्लिंटन ने इस मामले पर अपनी चिन्ता जाहिर की और वह इस बात से सहमत थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मामलों को शिमला समझौते के अन्तर्गत द्विपक्षीय बातचीत के जरिये सुलझाया जाना चाहिए। ये बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण, स्पष्ट तथा उपयोगी रही। राष्ट्रपति क्लिंटन के प्रशासन तथा अमरीका के व्यवसायी समुदाय ने भारत के आर्थिक सुधारों के प्रति अत्याधिक समर्थन तथा आशावादी दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया और इससे हमारे द्विपक्षीय सहयोग में विशेषकर व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र को गहन एवं सघन बनाने के नए रास्ते खुले।

न्यूयार्क तथा ह्यूस्टन में, प्रधान मंत्री अमरीका के व्यवसायियों से तथा भारतीय अमरीकी समुदाय के विभिन्न लोगों से मिले जो भारत के आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए इच्छुक थे। बोस्टन में, प्रधान मंत्री ने जोदीदी स्मारक भाषण दिया जहां उन्होंने भारत के विकासात्मक उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री ने वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया, अमरीका के अग्रणी व्यवसायिक नेताओं

तथा शिक्षाविदों से मुलाकात की तथा अमरीकी कांग्रेस के नेताओं से मिले। राष्ट्रपति क्लिंटन तथा प्रधान मंत्री ने एक संयुक्त प्रैस सम्मेलन को संबोधित किया तथा एक संयुक्त विज्ञाप्ति जारी की। अमरीका के कार्यकारी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री प्रधान मंत्री से बातचीत करने के लिए अलग-अलग मिले।

इस यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुए, एक अवैध औषधों के उत्पादन, वितरण तथा उपयोग को रोकने के प्रयत्नों के लिए जागरुकता तथा समर्थन बढ़ाने के सम्बद्ध सहकारी उपाय करने; और दूसरा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के सम्बन्ध में योजना, संरक्षण तथा प्रबन्धन के लिए।

(iv) रूस में प्रधान मंत्री ने रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति और अन्य नेताओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा, जिसमें वार्ता का ब्यौरा, सार्वभौम तथा क्षेत्रीय मामलों पर विचारों की व्यापक समानरूपता, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर निकट सहयोग जारी रखने की इच्छा की पुनः पुष्टि, जन संहार के हथियारों के सम्पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य से सभी उपाय करने की आधारभूत वचनबद्धता, भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के सीमा क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के संवर्द्धन में गहरी रूचि जाहिर करना; आतंकवाद जिसमें बाहर से समर्थन तोड़फोड़ की कार्रवाइयां तथा अन्तर्राष्ट्रीय अपराध इत्यादि भी शामिल हैं, को समाप्त करने में अन्य सभी राज्यों के साथ द्विपक्षीय सहयोग शामिल है, की एक प्रति विवरण में दी गई है। (नीचे देखिये) इस यात्रा के दौरान आयात/निर्यात के क्षेत्र में कोई विशिष्ट करार सम्पन्न नहीं किया गया ।

(v) वियतनाम में, वियतनामी नेताओं के साथ बातचीत में - विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए सहमति हुई - आर्थिक, व्यापारिक, रक्षा तथा संस्कृति। परस्पर हित के बहुपक्षीय मामलों पर भी चर्चा हुई। इस यात्रा के दौरान आयात/निर्यात के लिए कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

(vi) सिंगापुर में, नेताओं के साथ हुई चर्चा मुख्यतः बढ़ते हुए आर्थिक कार्यकलापों पर केन्द्रित थी। भारत में सिंगापुर द्वारा निवेश के लिए जिन अन्य संभावित क्षेत्रों का पता लगाया गया उनमें जन-आवास विद्युत उत्पादन, दूर-संचार पर्यटन, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र शामिल हैं। चर्चा के अन्य विषयों में सी एस आई आर द्वारा विकासित नई प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण भी शामिल था। चर्चा के बहुपक्षीय मामलों ने भारत की क्षेत्रीय निकायों जैसे कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों (आसियान), आसियान क्षेत्रीय मंच (ए आर एफ) और एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) में अधिकाधिक रूप से सम्बद्ध होने की इच्छा है। इस यात्रा के दौरान आयात/निर्यात के लिए कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

(ङ) वर्ष 1995 के दौरान प्रधान मंत्री कोलम्बिया, अर्जन्टीना, इटली और मलेशिया जाएंगे।

विवरण

भारत गणराज्य तथा रूसी परिसंघ के बीच सहयोग को और विकसित तथा गहन करने से सम्बद्ध घोषणा

भारत गणराज्य तथा रूसी परिसंघ जिन्हें इसमें इसके बाद पक्ष कहा गया है, भारत गणराज्य तथा रूसी परिसंघ के लोगों को मंत्री को और अधिक मजबूत करने तथा आपसी लाभ के लिए अपने सहयोग को बढ़ाने की पारस्परिक इच्छा से प्रेरित होकर इस ओर से आश्वस्तकि इस प्रकार का सहयोग दोनों देशों के मूलभूत दीर्घावधि हितों के अनुकूल है और इसमें सार्वभौम शान्ति और सुरक्षा सुदृढ़ होगी, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की ठोस परम्परा के आधार पर काम करने के लिए कृतसंकल्प, भारत गणराज्य तथा रूसी परिसंघ के बीच मैत्री और सहयोग की संधि के मूलभूत और स्थायी महत्व पर बल देते हुए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए, नीचे लिखे अनुसार घोषणा करते हैं:

एक

1. भारत के प्रधान मंत्री, श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव की 29 जुन से 2 जुलाई, 1994 तक रूसी परिसंघ की यात्रा, परम्परागत मैत्री तथा विश्वास के वातावरण में सम्पन्न उनकी बातचीत, और उसके बाद सम्पन्न करारों से दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास को प्रबल प्रोत्साहन तथा नई गति मिली और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर दोनों पक्षों के बीच व्यापक आधार पर संरचनात्मक क्रियाकलाप का एक गुणात्पक दौर प्रारम्भ हुआ है।

2. दोनों पक्षों ने इस बात पर गौर किया कि सार्वभौम और क्षेत्रीय मसलों पर मोटे तौर पर उनके विचारों में समानता है तथा उन्होंने अपने इस संकल्प की पुनः पुष्टि की कि एक न्यायसंगत और न्यायोचित विश्व व्यवस्था की स्थापना के हित में वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना निकट सहयोग जारी रखेंगे।

3. दोनों पक्षों का यह विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा, लोकतान्त्रिक तथा धर्म-निरपेक्ष मूल्यों

का पालन, मानवधिकारों का सुनिश्चय तथा सामजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि उनके लोगों के स्थायी आर्थिक विकास तथा बौद्धिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की समृद्धि की आवश्यक पूर्वापेक्षाए हैं। उन्होंने अपनी इस वचनबद्धता को रेखांकित किया कि हाल ही के वर्षों की सकारात्मक उपलब्धियों को और आगे बढ़ाने के लिए तथा समकालीन समस्याओं को सुलझाने के तरीकों की संयुक्त रूप से सलाह करने के लिए अपने द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ करेंगे तथा ऐसे अन्य देशों के साथ सहयोग करेंगे जो समान विचारधारा के मानने वाले हों।

4. इस संबंध में दोनों पक्षों के विचार एक जैसे हैं कि विश्व शान्ति और सुरक्षा के कार्य आगे बढ़ाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संगठन के बढ़ते हुए प्राधिकार पर संतोष व्यक्त किया और इस संगठन को सुदृढ़ करने, उसकी कार्यकुशलता बढ़ाने तथा उसके लोकतन्त्रीकरण को प्रोत्साहित करते रहने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में समकालीन विश्व की बदलती हुई सच्चाइयां पूरी तरह से परिलक्षित होनी चाहिएं।

5. दोनों पक्षों ने सामूहिक विनाश के अस्त्रों को पूर्णत: तथा समूचे विश्व से समाप्त करने के सभी उपायों के प्रति अपनी मूलभूत वचनबद्धता दोहराई। इस संबंध में वे विशेष रूप से इस पर सहमत हुए कि इस बात को सुविधाजनक बनाने की हर सम्भव कोशिश करेंगे कि नाभिकीय परीक्षण पर सार्वभौम प्रतिबंध लगाने तथा अस्त्र निर्माण के लिए विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन को बंद करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय बातचीत के बाद व्यापक संधियां शीघ्र सम्पन्न हों।

6. दोनों पक्षों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि विश्व में नई समस्याएं और संघर्ष प्रकट हुए हैं जिनके समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अधिक ध्यान देने और प्रयास करने की जरूरत है। आक्रामक राष्ट्रवाद, धार्मिक एवं राजनीतिक उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद से सम्प्रभुता सम्पन्न राज्यों की प्रादेशिक अखंडता और एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और स्थिरता के लिए विशेष खतरा उत्पन्न होता है। इस ओर से सजग दोनों पक्षों ने बहुजातीय राज्यों के हितों की सुरक्षा से संबद्ध घोषणा स्वीकार की।

7. दोनों पक्षों ने भारत गणराज्य तथा रूसी परिसंघ की सीमाओं के बीच के क्षेत्र में शान्ति और स्थायित्व के संवर्धन में गहरी रुचि दोहराई। उन्होंने अफगानिस्तान में रक्त-रंजित संघर्ष जारी रहने और निकटवर्ती राज्यों पर उसके दुष्प्रभाव के संबंध में विशेष चिन्ता व्यक्त की तथा आह्वान किया कि इसका जल्दी-से-जल्दी कोई राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए।

8. दोनों पक्षों ने लाजिक-अफगान सीमा पर तनाव बने रहने पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने यह बात दोहराई कि इस स्थिति को राजनीतिक तरीकों से सुलझाने की आवश्यकता है और साथ ही उन्होंने अन्तरलौजिक वार्ता जारी रखने के लिए अपना समर्थन भी दोहराया।

9. दोनों पक्षों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंधों में निरंतर सुधार पर और उनमें सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया विकसित होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने एशिया-प्रशांत क्षेत्र की समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोणों की समानता पर गौर किया और कहा कि इस क्षेत्र में मौजूदा संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए रचनात्मक क्रियाकलाप को तेज किया जाना चाहिए।

10. दोनों पक्षों ने कहा कि वे आंतकवाद को, जिसमें बाह्य समर्थित आंतकवाद भी शामिल है, विघटनकारी गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने की दिशा में परस्पर तथा अन्य देशों के साथ सहयोग करने को तैयार हैं जिनसे उनके देशों की प्रादेशिक अखण्डता तथा लोकतांत्रिका और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप तथा उनके नागरिकों के मानवधिकारों को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

11. अपने दिपक्षीय सहयोग की वर्तमान स्थिति और सम्भावनाओं तथा जनवरी 1993 में रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हुप समझौतों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का जायजा लेकर दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे निम्नलिखित दिशाओं में अपने प्रयास सघन करेंगे।

12. दोनों पक्ष अपेक्षाकृत अधिक खुलेपन, प्रतिस्पर्धा तथा विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने की दिशा में अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं में मंडी-अन्मुख परिवर्तनों और सुधारों के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न नये अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठाएगें।

13. दोनों पक्ष निवेश परियोजनाओं की स्थापना करने, उन्हें आधुनिक बनाने तथा उनका पुनर्गठन करने और संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने और अपने-अपने प्रदेशों में आपसी लाभकारी पूंजी-निवेश के मामले में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगें। अपने-अपने राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के अनुरूप वे उद्यम शीलता तथा एक-दूसरे के संगठनों के लिए आर्थिक गतिविधि के अन्य स्वरूपों के लिए अनुकूल संगठनात्मक, वित्तीय तथा कानूनी स्थितियों के सृजन को सुविधाजनक बनाएंगे।

14. दोनों पक्षों ने वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक सहयोग को और विकसित करने की इच्छा व्यक्त की विशेषकर

उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में जैसे, नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए प्रयोग, शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग, लेसर्स तथा लेसर प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान, विकास और डिजाइन बनाना, नये ढंग के यात्री विमान और सूचना प्रौद्योगिकी। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रवर्तन को तेज करने की जरूरत है।

15. दोनों पक्षों ने जनवरी, 1993 में नई दिल्ली में सम्पन्न अन्तर-सरकारी रक्षा-सहयोग करार के महत्व की पुन:पुष्टि की और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे अपने सैन्य-तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने के प्रयास जारी रखेंगे जिसमें संयुक्त उत्पादन की स्थापना भी शामिल है जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ तीसरे देशों में निर्यात करना भी है। उन्होंने यह बात भी दोहराई कि उनका सैन्य सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है।

16. दोनों पक्ष मानव संसाधन विकास में सहयोग को बढ़ाने तथा एक देश के लोगों के दूसरे देश के लोगों के साथ सम्पर्कों को विशेषकर संस्कृति, शिक्षा, कला, सूचना, पर्यटन और खेल-कूद के क्षेत्र में, सुविधाजनक बनाने को बहुत महत्व देते हैं। वे 1993 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और अन्य द्विपक्षीय प्रबंधों के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में ठोस उपाय करेंगे।

17. अपने संबंधों का गत्यात्मक और व्यापक विकास करने के साझा उद्देश्य से दोनों पक्षों ने बहुवादी राज्यों के हितों की रक्षा तथा भारत और रूसी परिसंघ के बीच सहयोग को और विकसित तथा सघन करने की घोषणाओं पर, शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और प्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा से संबद्ध करारों पर और मौसम विज्ञान तथा मानकीकरण और मापविज्ञान और प्रमाणीकरण के संबंध में समझौता ज्ञापनों पर 17 सितंबर 1992 के अन्तर-सरकारी करार की अवधि विस्तार से संबद्ध प्रोतोकोल तथा भारत-रूसी विमान उद्यम की स्थापना से संबंध पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने यथासंभव पारस्परिक पूंजी-निवेश के संवर्धन एवं परिरक्षण, विमान सेवा तथा व्यापारिक जहाजरानी के संबंध में भी समझौते करने की अपनी मंशा जाहिर की।

18. मास्को में भारत-रूस शिखर सम्मेलन के परिणामों से-उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय राजनीतिक बातचीत के लाभप्रद और संरचनात्मक स्वरूप की तथा इसे नियमित आधार पर जारी रखने की आवश्यकता की पुन: पुष्टि हुई। इस बातचीत को जारी रखने और द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप से भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच बहुमुखी सहयोग संवर्धित होगा जिससे एशिया और विश्व में शांति और स्थिरता को बहुत योगदान मिलता है।

19. मास्को में आज, 30 जून 1994 को हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न हुआ, ये सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं।

(हस्ता०)	(हस्ता०)
भारत गणराज्य	रूसी परिसंघ के
के प्रधान मंत्री	राष्ट्रपति

Iranian President's visit to Lucknow

7097. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during Mr. Rafsanjani's visit to Lucknow, the entire route from the airport to the Imambara was decked with Iranian flags only with and the Indian tricolour was nowhere in sight; and

(b) if so, the action taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) According to information available, on April 18, 1995 private bodies in Lucknow would seem to have decked the airport premises as well as the routes to the Raj Bhawan and Imambara with the national flags of India and Iran.

(b) Does not arise.

Changes in Pressler Law

7098. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem captioned "Clinton Government to seek changes to Pressler law" which appeared in the Indian Express dated the 6th April, 1995;

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OFEXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) Yes, Sir.